01.06.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
वाद परिणाम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री
जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00075

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 66/2017 GCMS:-2017/00075 दायर दिनांक : 10.04.2017

1. किशनाबाई पत्नी बख्तावर सिंह (मृतक अंकित आदेश दिनांक 11.09.2025) } अकवाम रायसिख
2. मंगल सिंह } पिसरान
3. जसवन्त सिंह } बख्तावर सिंह } निवासीयान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. कशमीरो पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. सुदेश पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म, अबोहर (पंजाब)
6. सन्तोष पत्नी गुरजीत सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म, अबोहर (पंजाब)

—वादीगण

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र उतम सिंह जाति रायसिख निवासी अर्जुनोतपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. प्रबन्धक, श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., श्रीगंगानगर
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषकगण वादीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री कमल दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 01.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, विचारण तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया सं. 1 मृतक बख्तावर सिंह पुत्र उतम सिंह की

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्नी व वादीगण सं. 2 से 6 पुत्र/पुत्रीयान हैं एवं जायज वारिसान हैं। प्रतिवादी सं. 1 मृतक बख्तावर सिंह का सगा भाई है। वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह के नाम से चक 5 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 40/16 के किला नं. 1 से 15 में 10.14 बीघा व चक 4 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 40/16 के किला नं. 11 से 25 में 10.14 बीघा, कुल 21.08 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई। बख्तावर सिंह की मृत्यु दिनांक 01.03.1980 को हो गई एवं उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 14.03.1985 को जारी हुई। बख्तावर सिंह की मृत्यु के समय वादीगण सं. 2 से 6 नाबालिग थे, जिन्हें लेकर वादीया सं. 1 अपने पीहर निरवाना में आकर रहने लग गई। वादीगण उक्त भूमि को काश्त करने में असमर्थ थे, इसलिए वादीगण के देवर/चाचा जोगेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह पिसरान उतम सिंह को भूमि देखभाल के लिए दे दी और वो ही उक्त भूमि देखभाल करते थे व फसल की हिस्सा राशि दे दिया करते थे। बाद में वादी सं. 2 बड़ा होकर काश्त में हाथ बंटाने लगा। वादी सं. 2 मंगल सिंह ने अपने चाचा प्रतिवादी सं. 1 जोगेन्द्र सिंह से वर्ष 1997 में कहा कि हाड़ी की फसल वादी स्वयं काश्त करेगा और सावणी की फसल आप काट लेना। तब प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि तू इस जमीन में क्या मांगता है। यह भूमि तो तेरे पिता बख्तावरसिंह ने अपने जीवनकाल में ही बेचान कर दी थी। प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी भी दी कि जमीन में आये तो मारेंगे। वादी ने यह बात अपनी माता व रिश्तेदारों को बताई। उसके पश्चात् प्रतिवादी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी आई.पी.सी. एफ.आई.आर. सं. 122 दर्ज करवाई गई, जिसमें चालान पेश हो चुका है। उक्त प्रकरण में किये गये बैयनामा पर भी फोरेसिंक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें पाया गया है कि बैयनामा फर्जी व झूठा तैयार करवाया गया है। प्रतिवादी ने किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर बैयनामा पंजीबद्ध करवाया है जो कि एक Waste Paper की तारीफ में आता है, क्योंकि बख्तावर सिंह का देहान्त दिनांक 01.03.1980 को हो चुका है, इसलिए उक्त बैयनामा फर्जी दस्तावेज की तारीफ में आता है जो कि Ab Initio Void दस्तावेज है। वादीगण के पति/पिता की मृत्यु दिनांक 01.03.1980 को हो चुकी थी व मृत्यु के समय

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी अंकित थी। मृत्यु के समय तक उसका हस्तान्तरण काश्तकारी अधिनियम के अनुसार करवाया ही नहीं जा सकता। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित बैयनामा दिनांक 24/25.07.1991 का है, जो प्राथमिकतः प्रभाव शून्य होने के कारण वादीगण के हितों पर बेअसर है। उक्त मुकदमा में चालान प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् भी वादीगण ने दिनांक 24.03.2005 को प्रतिवादी से उक्त भूमि का कब्जा छोड़ने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने धमकी दी कि यदि भूमि में पांव भी रखा तो जान से मार दूंगा। प्रतिवादी ने उक्त बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और उसी दस्तावेज को आधार बनाकर प्रतिवादी सं. 2 से ऋण भी प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी पूर्णतया बदयान्त हो गया है और उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण करने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वादीगण मृतक बख्तावर सिंह पुत्र उतम सिंह के जायज वारिस होने से जैरवाद भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर, जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 के खाता सं. 15 व खाता सं. 27 के कॉलम सं. 4 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम दर्ज करने एवं उक्त अनुतोष प्राप्त होने पर प्रतिवादी सं. 1 को अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर घोषणा अनुसार कब्जा दिलवाने व प्रतिवादी सं. 1 पर मालकाना/माल गुजारी का 50 गुणा शास्ति कायम कर वादीगण को वाद निर्णय तक दिलाये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त भूमि को रहन मुक्त करते हुए प्रतिवादी सं. 1 की अन्य भूमि पर उक्त भार अंकित किये जाने का निवेदन किया। वाद चलन के दौरान ही वादीया सं. 1 की मृत्यु होने पर दिनांक 11.09.2025 को उनके नाम के आगे 'मृतक' अंकित करने के आदेश हुए, शेष वारिस पूर्व में ही पक्षकार हैं।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल कर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया वादीगण मृतक बख्तावर सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह के वारिसान होने के फलस्वरूप घोषणात्मक वाद पत्र लाने के अधिकारी हैं ? (वादी)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2) आया बैयनामा दिनांक 24, 25.07.91 फर्जी कूटरचित होने के कारण Ab Initio Void दस्तावेज है वादीगण के हितों पर बेअसर है व निष्प्रभावी दस्तावेज होने के कारण Waste Paper की तारीफ में आता है ? (वादी)

(3) आया प्रतिवादीगण को उक्त बैयनामा दिनांक 25.07.1991 से कोई अधिकार प्राप्त होते हैं ? (प्रतिवादी)

(4) आया प्रतिवादी नं. 1 वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है वादीगण बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादी)

(5) आया वादीगण प्रतिवादी नं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर स्वयं का नाम अंकन कराने के अधिकारी हैं ? (वादी)

(6) आया वादीगण वादग्रस्त भूमि का मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ती वाद दायर से निर्णय तक का प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादी)

(7) आया बैयनामा पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार है राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है ? (प्रतिवादी)

(8) आया प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वाके चक 4 जी.डी.एम. का प.नं. 40/16 का 2.709 है0 कमाण्ड व चक 5 जी.डी.एम. का प.नं. 40/16 का 2.709 है0, कुल 5.418 है0 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.07.91 बख्तावर सिंह से खरीद की थी वैध दस्तावेज है। इस बैयनामा को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है, इसलिए वादी दावा लाने के हकदार नहीं हैं ? (प्रतिवादी)

(9) आया वाद पत्र मियाद बाहर है ? (प्रतिवादी)

(10) अन्य अनुतोष।

(11) आया जैर प्रकरण रकबा वादीगण के पति/पिता के नाम से आवंटित होने से व इन्हीं के द्वारा कब्जा लेने के पश्चात् इसकी किस्तें जमा करवाई जाकर इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं इसलिए इस रकबा के वादीगण खातेदार कृषक हैं ? (वादीगण)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(12) आया वादीगण ने जैरप्रकरण रकबा के आवंटन आदेश आवंटी के आवेदन पत्र फोटो फार्म व किस्त जमा करवाने व खातेदारी सनद के बाबत साक्ष्य पेश किये बगैर जैर प्रकरण रकबा के खातेदार हो सकते हैं? (वादीगण)

(13) आया आवंटी बख्तावरसिंह व विक्रेता बख्तावरसिंह दो अलग–अलग व्यक्ति है व मूल आवंटन पत्रावली बगैर वादीगण अपने आपको इस रकबा के खातेदार काश्तकार हैं ? (वादीगण)

(14) आया विक्रेता बख्तावरसिंह को पक्षकार बनाये बगैर वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है व वाद कारण पैदा नहीं होने से दावा खारिज योग्य है ? (प्रतिवादी)

(15) आया भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध प्रकरण जैरकार होना या अपराधी प्रकरण में कार्यवाही लम्बित होने से वादीगण जैरप्रकरण रकबा के खातेदार नहीं हो सकते ? (प्रतिवादी)

(16) आया जैरप्रकरण रकबा बख्तावरसिंह के नाम से आवंटन से लेकर आज तक कभी भी वादीगण ने ना तो कभी कब्जा लिया ना कभी किस्तें जमा करवाई व ना खातेदारी हक प्राप्त केवल नाम की समानता से जैरप्रकरण रकबा के खातेदार नहीं हो सकते व प्रतिवादी इस रकबा का अतिक्रमी ना होकर खातेदार है ? (प्रतिवादी)

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य पत्रावली में प्राप्त किये गए। वादीगण द्वारा साक्ष्य में नानक सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें नानक सिंह ने अपने आपको उत्तम सिंह के सगे भाई का वारिस बताया है। साथ ही वादी सं. 2 मंगल सिंह ने अपने स्वयं का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया एवं महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से स्वयं का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ। वादीगण की ओर से तर्क के समय माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, सूरतगढ़ की अपील में हुए निर्णय दिनांक 14.11.2019 की प्रति पेश की गई। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 की ओर से तर्क के समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 12.12.2019 की प्रति पेश की गई। साथ

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ही प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत खातेदारी सनद, चालान की प्रतियां, पास बुक, राशन कार्ड, रकम की रसीद, मांग–पत्र, परिचय–पत्र, आवंटन आदेश, नामान्तरकरण, बैंक से उठाये ऋण की कॉपी, जो पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत थी, पर प्रदर्श लगवाये। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गए।

अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 4 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 40/16 के किला नं. 1 से 15 में 10.14 बीघा कमाण्ड व चक 5 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 40/16 के किला नं. 11 से 15 में 10.14 बीघा, कुल 21.08 बीघा भूमि वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह को दिनांक 16.12.1975 को आवंटित हुई थी जिस पर उन्होंने विधिवत कब्जा लेकर काश्त की। बख्तावर सिंह वगैरह पांच भाई थे जो कि नामान्तरकरण चक 48 एफ वर्ष 2077 से स्पष्ट है। इसमें उत्तम सिंह पुत्र गहना सिंह की भूमि का नामान्तरकरण चारों भाइयों लक्ष्मण सिंह, बख्तावरसिंह, महेन्द्रसिंह, जोगेन्द्र सिंह व जैलासिंह के नाम से अंकित हुआ है। बख्तारसिंह पुत्र उत्तसिंह को वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई थी जो कि स्वयं प्रतिवादी सं. 1 भी स्वीकार करता है। इस भूमि में बख्तावर सिंह के साथ उसके अन्य भाई महेन्द्र सिंह व जोगेन्द्र सिंह भी काश्त में सहयोग देते थे। बख्तावर सिंह की मृत्यु वर्ष 1980 में हो गई। उस समय उसके पुत्र/पुत्रियां नाबालिग थे, इसलिए काश्त उसके भाई महेन्द्र सिंह व जोगेन्द्र सिंह की रही। बाद मृत्यु बख्तावर सिंह प्रतिवादी सं. 1 जोगेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह के मन में बदयान्ति आ गई और महेन्द्र सिंह 1980 के बाद अपने आपको बख्तावर सिंह बताते हुए उक्त भूमि सम्बन्धी कार्यवाही करता रहा व अपने साक्ष्य भी बतौर बख्तावर सिंह बनाता रहा। 1985 तक भूमि की तमाम किस्तें जमा करवाकर व अन्य साक्ष्य गठित कर अपने आपको बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह बना लिया व इसी आधार पर खातेदारी सनद प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण वर्ष 1991 में जोगेन्द्र सिंह को कर दिया। इसका ज्ञान वादीगण को नहीं था, वे नाबालिग थे। 1997 में बालिग होने पर भूमि की मांग की, तब जोगेन्द्र सिंह ने उसे बताया कि यह भूमि उसके नाम हस्तान्तरित हो चुकी है। तथ्यों का ज्ञान कर जोगेन्द्र सिंह के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जिसमें तमाम हस्तान्तरण में शामिल व्यक्तियों को मुल्जिम मानकर उनको सजा हो चुकी है। प्रथम अपील भी निरस्त की जा चुकी है व वर्तमान में यह मामला द्वितीय अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। जोगेन्द्र सिंह जमानत पर है व इस पर लगाई गई पैनेल्टी यथावत कायम है। साक्ष्यों ने भी वादीगण के कथनों की पुष्टि की है। जोगेन्द्र सिंह ने भी अपने बयानों के प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वे कितने भाई–बहिन हैं, उसे पता नहीं है। यह तथ्य उसके कथन छुपाने को प्रकट करते हैं। आपराधिक मामले में अंगूठा निशान की पहचान में भी बख्तावर सिंह के पूर्व के अंगूठे व बैयनामे के अंगूठे में अन्तर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने बताये हैं। माननीय अपर सैशन न्यायाधीश सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 14.11.2019 एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 12.01.2015 के विस्तृत विवेचन में सारी स्थिति स्पष्ट की है। इन न्याय निर्णयों की वादीगण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत साक्ष्य से भी अलग से पूर्ण रूप से पुष्टि हो रही है। इसके अतिरिक्त जहां तक मियाद बिन्दु का सम्बन्ध है, वर्ष 1997 तक वादीगण की स्वीकृति से प्रतिवादी सं. 1 का जैरवाद भूमि पर कब्जा रहा है व इसके पश्चात् आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सका। आपराधिक प्रकरण का निर्णय होने के पश्चात् व प्रतिवादी सं. 1 दोष सिद्ध होने पर वर्ष 2005 में प्रतिवादी सं. 1 भूमि छोड़ने से पुनः इन्कार हो गया। वर्ष 2005 में राजस्व वाद दायर किया है। 1997 से 2005 तक आठ वर्ष के अन्दर वाद दायर हुआ है जो 12 वर्ष की मियाद बेदखली से अन्दर मियाद है। इसी प्रकार 2005 में तुरन्त वाद दायर किया है, इससे भी वाद अन्दर मियाद है। घोषणा हेतु काश्तकारी अधिनियम में कोई मियाद नहीं है, इसलिए वाद काबिल समायत अदालतवाला है। जहां तक हस्तान्तरण का सम्बन्ध है, वैध व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरण न होने से यह हस्तान्तरण Ab-initio Void व Non Set की परिभाषा में आता है जिसको व्यवहार न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आर.एल.डब्ल्यू. 1984 पेज सं. 7 व आर.आर.डी. 1995 पेज सं. 533 प्रस्तुत किये हैं, इसलिए वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध मानते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर चाहा गया अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की।

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने तर्क दिया कि जोगेन्द्र सिंह वादी मंगल सिंह के पिता का भाई नहीं है। बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी 48 एफ तहसील श्रीकरणपुर का है, जबकि आवंटन पट्टा में आवंटिती 38 पी.एस. का निवासी बताया जा रहा है। ये दो व्यक्ति अलग–अलग हैं। वादी मंगल सिंह ना तो जोगेन्द्र सिंह का भतीजा है व ना ही जोगेन्द्र सिंह कभी 48 एफ तहसील श्रीकरणपुर में रहा है। महेन्द्र सिंह भी जोगेन्द्र सिंह का भाई नहीं है। मात्र नाम की समानता का लाभ उठाकर वादीगण प्रतिवादी को हैरान–परेशान करने के लिए यह वाद लाये हैं। उक्त भूमि का वास्तविक आवंटिती बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह 38 पी.एस. का निवासी था। उसे ही आवंटन हुआ था। उसके तमाम साक्ष्य संलग्न वाद है। प्रतिवादी के विक्रयकर्ता के पास आवंटन किस्त जमा करवाने की रसीदें, खातेदारी पट्टा के साक्ष्य हैं। वह वैध आवंटिती था। उसी से प्रतिवादी ने भूमि क्रय की है। वर्तमान में प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। वाद वादीगण मियाद अधिनियम से बाहर प्रस्तुत हुआ है। व्यवहार न्यायालय में पंजीकृत विलेख निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। वादीगण ने अपने हक की तनकीयात विचारण बिन्दु सन्देह से परे सिद्ध नहीं की हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे का निर्णय बतौर साक्ष्य इस वाद में प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही फौजदारी प्रकरण का निर्णय अभी द्वितीय अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय ना होने से बतौर साक्ष्य पढ़ा जाने योग्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में पत्रावली के संलग्न साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया व तर्कों को सिद्ध करने के लिए न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर. टी. 2026 (1) पेज सं. 110, आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (2) पेज सं. 1007, आर.आर. टी. 2007 (2) पेज सं. 1245, डी.एन.जे. 2021 (2) पेज सं. 881, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज सं. 922 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय S.B. Criminal Revision Petition No. 1559/2019 Order dt. 12.12.2019 and Order dt. 13.02.2020 प्रस्तुत किये। वाद वादीगण तनकीवार सिद्ध ना होने पर निरस्त करने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का पठन व मनन

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया वादीगण मृतक बख्तावर सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह के वारिसान होने के फलस्वरूप घोषणात्मक वाद पत्र लाने के अधिकारी हैं ?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने शपथ–पत्र व अन्य गवाहान एवं ग्राम पंचायत निरवाना का वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह के देहान्त व उसके कृष्णाबाई पत्नी सहित कुल 6 वारिस बताये गये हैं। साथ ही शपथ–पत्र से वाद सत्यापन भी किया गया है। मूल रूप से आवंटन बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह को हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2042 में भी बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह को बतौर खातेदार प्रश्नगत भूमि का बताया गया है। यह तथ्य भी विवाद रहित है कि मूल आवंटिती उक्त भूमि का बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह था। बतौर वारिस बख्तावर सिंह वादीगण अपने हकूक की घोषणा हेतु वाद लाने के अधिकारी पूर्ण रूप से बनते हैं। यह तथ्य कि बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह आवंटिती वादीगण का पति/पिता ही था, पूर्ण वाद में विचारण किया जाने योग्य है, किन्तु वादीगण बतौर वारिस कथित बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह वारिसनामा के आधार पर वाद लाने के पात्र बनते हैं। तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया बैयनामा दिनांक 24, 25.07.91 फर्जी कूटरचित होने के कारण Ab Initio Void दस्तावेज है वादीगण के हितों पर बेअसर है व निष्प्रभावी दस्तावेज होने के कारण Waste Paper की तारीफ में आता है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण ने अपने पति/पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वादीगण के पति/पिता की मृत्यु वर्ष 1980 में दर्शाई गई है। वादीगण का शपथ–पत्र पर कथन है कि महेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह ने बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद स्वयं को बख्तावर सिंह बताकर चाचा जोगेन्द्र सिंह से साज–बाज कर पंजीकृत बैयनामा करवाया है। मूल आवंटिती पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, इसलिये बैयनामा कूटरचित अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा

क्रमशः ..... पेज 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करवाया गया है। तथ्यों की पुष्टि हेतु माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 23.12.2014 की प्रति प्रस्तुत की है व साथ ही तर्क के समय माननीय अपर सैशन न्यायाधीश सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 14.11.2019 की प्रति पेश की है। स्वयं प्रतिवादी DW-1 ने अपने बयान प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह बख्तावर सिंह को नहीं जानता। बख्तावर सिंह का परिचय उसकी नानी ने करवाया था। प्रतिवादी सं. 1 यह भी कथन प्रतिपरीक्षण में करता है कि वे कितने भाई–बहिन हैं, वह ज्ञान नहीं रखता। यह सब कथन सन्देह के घेरे में प्रतिवादी सं. 1 को लाते हैं। यद्यपि माननीय अपर सैशन न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णयों का उपयोग राजस्व विचारण में निर्णायक रूप से नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु विचारण की पुष्टि में उनका उपयोग किया जा सकता है। यह तथ्य सन्देह से परे हैं कि वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह व हस्तान्तरणकर्ता बख्तावर सिंह दो पृथक व्यक्ति हैं। वादीगण के पति/पिता को आवंटन माने जाने पर हस्तान्तरण बख्तावर सिंह प्रथम व्यक्ति पूर्ण रूप से साबित है। दाण्डिक न्यायालय ने स्पष्ट रूप से हस्तान्तरणकर्ता को अनाधिकृत व्यक्ति माना है। स्वयं वादीगण ने व स्वतंत्र गवाहान बहक वादीगण ने भी तथ्यों की पुष्टि की है। प्रतिवादी सं. 1 DW-1 ने आपराधिक विचारण में महेन्द्र सिंह उर्फ बख्तावर सिंह को जानना प्रकट किया जबकि वाद के विचारण में प्रतिवादी कहता है कि वह कथित महेन्द्र सिंह उर्फ बख्तावर सिंह को नहीं जानता। नानी ने परिचय करवाया। ये दोनों भाई हैं, यह सिद्ध स्पष्ट गलत बयानी प्रतिवादी सं. 1 को सन्देह के घेरे में लाती है। अतः तनकी नं. 2 इस सीमा तक स्वीकार है कि वादीगण के पति/पिता, जो कि वर्ष 1980 में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उस द्वारा हस्तान्तरण नहीं करवाया गया। वादीगण के पति/पिता को आवंटन माने जाने पर, किया गया हस्तान्तरण उसके द्वारा नहीं किया गया। स्पष्टतः ऐसा हस्तान्तरण Ab-initio Void एवं Non Set की परिभाषा में आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रकाशित आर.एल.डब्ल्यू. 1984 पेज सं. 7 व आर.आर. डी. 1995 पेज सं. 532 राजस्व मण्डल इस मामले में पूर्णतया प्रभावशील होते हैं। अतः तनकी नं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 11 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (3) – आया प्रतिवादीगण को उक्त बैयनामा दिनांक 25.07.1991 से कोई अधिकार प्राप्त होते हैं ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। मात्र शपथ–पत्र से इसे सिद्ध नहीं माना जा सकता। स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। जबकि प्रतिवादी के हस्तान्तरण पत्र को Ab-initio Void मृत्यु प्रमाण–पत्र व स्वतंत्र गवाहान, नामान्तरण 48 एफ., जिसमें उत्तम सिंह के प्रतिवादी सं. 1, महेन्द्र सिंह वगैरह कुल 6 वारिस बताये सिद्ध होते हैं। हस्तान्तरण पत्र Non Set Ab-initio Void की परिभाषा में सन्देह से परे सिद्ध होता है। अतः तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया प्रतिवादी नं. 1 वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है वादीगण बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी नं. 4 का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से 3 से है। तनकी नं. 1 व 2 बहक वादीगण एवं तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णय की गई है, इसलिये तनकी नं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया वादीगण प्रतिवादी नं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर स्वयं का नाम अंकन कराने के अधिकारी हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से 4 से है। तनकी नं. 1, 2 व 4 बहक वादीगण एवं तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णय की गई है, इसलिए तनकी नं. 5 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (6) – आया वादीगण वादग्रस्त भूमि का मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ती वाद दायर से निर्णय तक का प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से 5 के निर्णय से है। तनकी नं. 1, 2, 4, 5 बहक

क्रमशः .... पेज 12 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण एवं तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की गई है। इस सम्बन्ध में अंकन करना उचित है कि पूर्व में वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना–पत्र में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.02.2019 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें राजस्व मण्डल ने प्रश्नगत भूमि की 20,000रू. प्रति हैक्टेयर की प्रतिभूति राशि वाद दायरी से निर्णय तक प्रति वर्ष प्रतिवादी सं. 1 को जमा करवाने का आदेश दिया है। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है व स्थगनाधीन है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय वादीगण के पक्ष में होने की अवस्था में प्रतिभूति राशि प्रतिवादी सं. 1 से वसूली योग्य कानूनी रूप से बनेगी, इसलिये शास्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुरूप प्रतिवादी सं. 1 से वसूल कर वादीगण को दिलाये जाने योग्य बनती है। इसी अनुसार तनकी नं. 6 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (7) – <u>आया बैयनामा पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार है राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है ?</u> (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं का शपथ–पत्र एवं न्यायिक निर्णय आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (2) पेज सं. 1007, डी.एन.जे. 2021 (2) पेज सं. 881, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज सं. 922 प्रस्तुत किये जिनका सम्मान सहित एकाग्रचित से अध्ययन व मनन किया गया। इन सभी न्यायिक निर्णयों में Voidable एवं Void abinitio के अन्तर को व्यक्त करते हुए Voidable में व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना गया है व Void abinitio का का विचारण क्षेत्र राजस्व न्यायालय का माना गया है। वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय आर.एल.डब्ल्यू. 1984 पेज सं. 7 इस स्थिति को स्पष्ट करता है। यह मामला Void-ab-initio Non Set दस्तावेज से सम्बन्धित है जिसका विचारण क्षेत्र राजस्व न्यायालय का माना गया है, इसलिये बाद पठन ससम्मान न्यायिक निर्णय प्रस्तुत पक्षकारान से तनकी नं. 7 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 13 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (8) – आया प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वाके चक 4 जी.डी.एम. का प.नं. 40/16 का 2.709 है0 कमाण्ड व चक 5 जी.डी.एम. का प.नं. 40/16 का 2.709 है0, कुल 5.418 है0 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.07.91 बख्तावर सिंह से खरीद की थी वैध दस्तावेज है। इस बैयनामा को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है, इसलिए वादी दावा लाने के हकदार नहीं हैं ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी सं. 1 पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से 4 व 7 से है। तनकी नं. 1, 2, 4, बहक वादीगण व तनकी नं. 3, 7 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की गई है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वतंत्र साक्ष्य से कतई सिद्ध नहीं किया कि उसने वादीगण के पति/पिता से प्रश्नगत भूमि खरीद की है। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कहा है कि वह बख्तावर सिंह को नहीं जानता, नानी किस प्रकार बख्तावर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह को जानती थी, स्पष्ट नहीं। वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह व हस्तान्तरणकर्ता बख्तावर सिंह वास्तव में बख्तावर सिंह था, स्पष्ट नहीं। तमाम साक्ष्य वर्ष 1980 के बाद के हैं जो बाद मृत्यु बख्तावर सिंह बनाये जा सकते हैं। तनकी नं. 8 किसी प्रकार से सन्देह से परे सिद्ध नहीं होती, विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (9) – आया वाद पत्र मियाद बाहर है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी सं. 1 पर था। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा वाद मियाद बेदखली हेतु 12 वर्ष बताते हुए खरीद वर्ष 1991 से बताकर वाद मियाद बाहर बताया व न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2026 (1) पेज सं. 110 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय प्रस्तुत किया। दूसरी ओर वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुच्छेद तृतीय (Schedule III) के क्रम सं. 5 कॉलम सं. 4 का अवलोकन करवाया जिसमें घोषणात्मक वाद हेतु किसी प्रकार की मियाद बन्दिश नहीं (None) एवं 183 के वाद हेतु कॉलम 4 में 12 वर्ष की मियाद व मियाद की शुरूआत कॉलम 5 में "When the cause of action arises" अंकित है। उक्त बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय पर विचारण करने पर पाया जाता है कि न्याय निर्णय के प्रस्तुत वाद में "No date mentioned when the request was made to deliver the vacant possession." इस अवस्था में

क्रमशः ..... पेज 14 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद मियाद बाहर माना गया। वर्तमान वाद में वादीगण द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि वादी सं. 2 द्वारा दिनांक 04.04.2005 से 7 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 1997 में प्रतिवादी से कब्जा छोड़ने को कहा व वह इन्कार हुआ। 1998 में आपराधिक मामला दर्ज करवाया। इसके पश्चात् दिनांक 24.03.2005 को पुनः कब्जा छोड़ने को कहा। वर्ष 1997 से 7 वर्ष में व 2005 में तुरन्त वाद प्रस्तुत हुआ है, इसलिये वादीगण का वाद प्रावधानों के अन्तर्गत मियाद के अन्दर माना जाने योग्य है। तनकी नं. 9 बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

(10) अन्य अनुतोष।

इसका निर्णय तनकी नं. 16 के बाद किया जावेगा।

तनकी नं. (11) – आया जैर प्रकरण रकबा वादीगण के पति/पिता के नाम से आवंटित होने से व इन्हीं के द्वारा कब्जा लेने के पश्चात् इसकी किस्तें जमा करवाई जाकर इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं इसलिए इस रकबा के वादीगण खातेदार कृषक हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने शपथ–पत्र में यह अंकित किया है कि उनके द्वारा किस्तें जमा नहीं करवाई गई, क्योंकि वे नाबालिग थे। भूमि काश्त महेन्द्र सिंह, जोगेन्द्र सिंह वगैरह करते थे, इसलिये उनके पिता बख्तावर सिंह की ओर से कथित बख्तावर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह द्वारा किस्तें जमा करवाई गई हो सकती हैं। चालान उनके पास ही थे, उनके द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। फोटो जो परिचय–पत्र आदि में है, वास्तव में महेन्द्र सिंह के हैं, यह तथ्य वादी मंगल सिंह ने बयान में कहे। यह तथ्य विवाद रहित है कि बाद मृत्यु मूल आवंटिती बख्तावर सिंह प्रतिवादी सं. 1 व कथित महेन्द्र सिंह उर्फ बख्तावर सिंह के कब्जा काश्त में भूमि रही। मृत व्यक्ति किस्तें जमा नहीं करवा सकता। उसकी व वादकर्ताओं की ओर काश्त करने वालों द्वारा किस्तें बकाया जमा करवाई गई, वह बख्तावर सिंह द्वारा जमा करवाई गई माने जाने योग्य है, इसलिये मात्र चालान आदि प्रतिवादी सं. 1 के पास होने से किस्तों के आधार पर उनके अधिकार नहीं बनते। किस्तें भौतिक रूप से उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई, किन्तु Dejure किस्तें वादीगण द्वारा जमा करवाई गई मानी जाने योग्य है। उक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 11 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 15 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (12) – आया वादीगण ने जैरप्रकरण रकबा के आवंटन आदेश आवंटी के आवेदन पत्र फोटो फार्म व किस्त जमा करवाने व खातेदारी सनद के बाबत साक्ष्य पेश किये बगैर जैर प्रकरण रकबा के खातेदार हो सकते हैं? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए उनका शपथ–पत्र आधार है। प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। चालान किसी के भी पास हो, समस्त कार्यवाही बख्तावर सिंह आवंटिती के नाम से हुई है व उन्हीं द्वारा की गई समझी जाने योग्य है। वादीगण बतौर वारिस अधिकारों की घोषणा का वाद लाने को सक्षम हैं। तनकी नं. 12 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (13) – आया आवंटी बख्तावरसिंह व विक्रेता बख्तावरसिंह दो अलग–अलग व्यक्ति है व मूल आवंटन पत्रावली बगैर वादीगण अपने आपको इस रकबा के खातेदार काश्तकार हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी सं. 2 द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्र गवाह से प्रमाणित करवाया है। पुष्टि हेतु दाण्डिक न्यायालयों की निर्णय प्रस्तुत किये हैं। अतः तनकी नं. 13 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (14) – आया विक्रेता बख्तावरसिंह को पक्षकार बनाये बगैर वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है व वाद कारण पैदा नहीं होने से दावा खारिज योग्य है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। वादीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि विक्रेता बख्तावर सिंह को पक्षकार बनाये बिना वाद कारण पैदा ना होने से वाद खारिज योग्य बनता है, यह कहना गलत है, क्योंकि विक्रेता बख्तावर सिंह जो वास्तव में महेन्द्र सिंह है, के विरुद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया, इसलिये उसे पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं। जोगेन्द्र सिंह से अनुतोष प्राप्त करना है। उसी के विरुद्ध पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत है, इसलिये तनकी नं. 14 खिलाफ प्रतिवादी व बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 16 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (15) – आया भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध प्रकरण जैरकार होना या अपराधी प्रकरण में कार्यवाही लम्बित होने से वादीगण जैरप्रकरण रकबा के खातेदार नहीं हो सकते ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिये किसी न्यायिक प्रावधान अथवा न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व वाद आपराधिक विचारण बिन्दु से भिन्न बिन्दु पर प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक मामला अपराध से सम्बन्धित है, उसके साक्ष्य अलग है, प्रक्रिया अलग है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं Resjudicata के प्रावधान हो, प्रकट नहीं किया गया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में धारा 11 में Resjudicata के प्रावधान हैं जो कि "Suit" के सम्बन्ध में है, न कि Criminal trial के सम्बन्ध में। यहां वाद का निर्णय किया जाना है, बाकी Criminal trial के सम्बन्ध में इस मामले के विचारण बिन्दु, भार, सबूत भिन्न–भिन्न पाये जाते हैं। यहां विचारण बिन्दु पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र आवंटिती के नाम का लाभ उठाकर अन्य व्यक्ति द्वारा आवंटिती के नाम का उपयोग कर हस्तान्तरण करवाने का बिन्दु है, जबकि आपराधिक मामले में षडयन्त्र द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने का। इस प्रकार साक्ष्य व कानूनी प्रावधान प्रस्तुत न किये जाने के आधार पर तनकी नं. 15 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (16) – आया जैरप्रकरण रकबा बख्तावरसिंह के नाम से आवंटन से लेकर आज तक कभी भी वादीगण ने ना तो कभी कब्जा लिया ना कभी किस्तें जमा करवाई व ना खातेदारी हक प्राप्त केवल नाम की समानता से जैरप्रकरण रकबा के खातेदार नहीं हो सकते व प्रतिवादी इस रकबा का अतिक्रमी ना होकर खातेदार है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिये ना तो गवाह के बयान करवाये, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। DW-1 ने अपने साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य गवाह के बयान नहीं करवाए जो यह कह रहा हो कि उसके सामने वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह को नहीं बल्कि महेन्द्र सिंह उर्फ बख्तावर सिंह को

क्रमशः ..... पेज 17 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कब्जा दिया गया हो। मात्र पट्टा, किस्तों के चालान आदि धारण से वादीगण के पति/पिता बख्तावर सिंह पुत्र उत्तम सिंह को कब्जा ना दिया जाना सिद्ध नहीं होता। साक्ष्य अभाव में तनकी नं. 16 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है। तनकी नं. (10) अनुतोष।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1–2, 4 से 6, 11, 12, 13 बहक वादीगण व तनकी नं. 3, 7, 8, 9 14, 15, 16 खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की गई है। इसमें विस्तृत विवरण दाण्डिक न्यायालयों के विश्लेषण का सहारा वाद साक्ष्य की पुष्टि (Coroboration) हेतु लिया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 4 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 के खाता सं. 20 नया, 16 पुराना में अंकित पत्थर नं. 40/16 (23) के किला नं. 11/0.025 है0, 12/0.038 है0, 13/0.076 है0, 14/0.076 है0, 15/0.089 है0, 16 से 20/1.265 है0, 21/0.228 है0, 22/0.228 है0, 23/0.228 है0, 24/0.228 है0, 25/0.228 है0 = 2.709 है0 कमाण्ड एवं चक 5 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 61 के खाता सं. 12 नया, 12 पुराना में अंकित पत्थर नं. 40/16 (26) के किला नं. 1/0.228 है0, 2/0.228 है0, 3/0.228 है0, 4/0.228 है0, 5/0.228 है0, 6 से 10/1.265 है0, 11/0.076 है0, 12/0.051 है0, 13/0.025 है0, 14/0.013 है0, 15/0.012 है0 = 2.581 है0 कमाण्ड 0.127 है0 खाला, उक्त दोनों चकों की कुल 4.417 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि का वादीगण मंगल सिंह, जसवन्त सिंह पिसरान बख्तावर सिंह निवासीयान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, कशमीरो पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर, सुदेश पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म अबोहर व सन्तोष पत्नी गुरजीत सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म अबोहर को बहिस्सा बराबर यानि कुल 5 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक पूर्व अंकित खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार जोगेन्द्र सिंह का नाम उपरोक्त खातों एवं बने वर्तमान खाते की जमाबन्दी में घोषित काश्तकारों

क्रमशः ..... पेज 18 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के नाम घोषणा अनुसार अंकित करने व उक्त खातों से जोगेन्द्र सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार वर्तमान अंकित काश्तकार जोगेन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह को उक्त भूमि पर अतिचारी माना जाकर बेदखल कर घोषित काश्तकारों को कब्जा दिलाए जाने के आदेश दिये जाते हैं व इस मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि 20,000/–रू. प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर जमा कराने के आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट पेटिशन सं. 5681/2019 में बहाल रहने पर वाद दायरी से बेदखली तक प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध कायम की जाकर भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बकाया के रूप में वसूली योग्य माना जाकर वसूल की जाकर बहिस्सा बराबर वादीगण सं. 2 से 6 को देय होगी। रहन का नोट यथावत रहेगा, अदा करने का भार प्रथम जोगेन्द्र सिंह एवं उसकी अन्य भूमि से होगा, ना चुकाए जाने पर घोषित काश्तकारों को कर्ज राशि चुकानी होगी। इस मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश है, इसलिये वर्तमान आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पेटिशन सं. 5681/2019 के निर्णय के अधीन रहेंगे और निर्णय के अनुसार ही परिवर्तनीय होंगे। तब तक प्रतिवादी सं. 1 पाबन्द रहेगा कि वह वर्तमान आदेश के बाद भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा भारित नहीं करेगा, यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 01.06.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. किशनाबाई पत्नी बख्तावर सिंह (मृतक अंकित आदेश दिनांक 11.09.2025)
2. मंगल सिंह } पिसरान
3. जसवन्त सिंह } बख्तावर सिंह

} अकवाम रायसिख निवासीयान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

4. कशमीरो पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी 43 पी. एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. सुदेश पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म, अबोहर (पंजाब)
6. सन्तोष पत्नी गुरजीत सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म, अबोहर (पंजाब)

–वादीगण

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति रायसिख निवासी अर्जुनोतपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. प्रबन्धक, श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., श्रीगंगानगर
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 183 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 66 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषकगण वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 श्री कमल दत्त शर्मा व पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार कर चक 4 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 के खाता सं. 20 नया, 16 पुराना में अंकित पत्थर नं. 40/16 (23) के किला नं. 11/0.025 है0, 12/0.038 है0, 13/0.076 है0, 14/0.076 है0, 15/0.089 है0, 16 से 20/1.265 है0, 21/0.228 है0, 22/0.228 है0, 23/0.228 है0, 24/0.228 है0, 25/0.228 है0 = 2.709 है0 कमाण्ड एवं चक 5 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 61 के खाता सं. 12 नया, 12 पुराना में अंकित पत्थर नं. 40/16 (26) के किला नं. 1/0.228 है0, 2/0.228 है0, 3/0.228 है0, 4/0.228 है0, 5/0.228 है0, 6 से 10/1.265 है0, 11/0.076 है0, 12/0.051 है0, 13/0.025 है0, 14/0.013 है0, 15/0.012 है0 = 2.581 है0

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कमाण्ड 0.127 है0 खाला, उक्त दोनों चकों की कुल 4.417 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि का वादीगण मंगल सिंह, जसवन्त सिंह पिसरान बख्तावर सिंह निवासीयान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, कशमीरो पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर, सुदेश पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म अबोहर व सन्तोष पत्नी गुरजीत सिंह पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी सीड्स फार्म अबोहर को बहिस्सा बराबर यानि कुल 5 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक पूर्व अंकित खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार जोगेन्द्र सिंह का नाम उपरोक्त खातों एवं बने वर्तमान खाते की जमाबन्दी में घोषित काश्तकारों के नाम घोषणा अनुसार अंकित करने व उक्त खातों से जोगेन्द्र सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार वर्तमान अंकित काश्तकार जोगेन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह को उक्त भूमि पर अतिचारी माना जाकर बेदखल कर घोषित काश्तकारों को कब्जा दिलाए जाने के आदेश दिये जाते हैं व इस मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि 20,000/–रू. प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर जमा कराने के आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट पेटिशन सं. 5681/2019 में बहाल रहने पर वाद दायरी से बेदखली तक प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध कायम की जाकर भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बकाया के रूप में वसूली योग्य माना जाकर वसूल की जाकर बहिस्सा बराबर वादीगण सं. 2 से 6 को देय होगी। रहन का नोट यथावत रहेगा, अदा करने का भार प्रथम जोगेन्द्र सिंह एवं उसकी अन्य भूमि से होगा, ना चुकाए जाने पर घोषित काश्तकारों को कर्ज राशि चुकानी होगी। इस मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश है, इसलिये वर्तमान आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पेटिशन सं. 5681/2019 के निर्णय के अधीन रहेंगे और निर्णय के अनुसार ही परिवर्तनीय होंगे। तब तक प्रतिवादी सं. 1 पाबन्द रहेगा कि वह वर्तमान आदेश के बाद भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा भारित नहीं करेगा, यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.2026 को जारी की गई।

(भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)